जनजातीय क्षेत्रों में पी०डी०एस० के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त उपभोक्ता वस्तुओं को मुहैया कराना

1788. श्री एस०एस० सुरजेवाला:
श्री अजित जोगी:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ राज्यों में राजसहायता प्राप्त उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए जनजातिय क्षेत्रों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों को दी जानी वाली प्रस्तावित राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ग) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आदिवासी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रत्यक्ष राजसहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार विशेष राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गतम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है। ये मूल्य संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों, जिनमें समन्वित आदिवासी विकास ब्लाक भी शामिल हैं, में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/- रु० प्रति क्विंटल कम है।

(ख) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना ब्लाकों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिनिर्धारित समन्वित आदिवासी विकास परियोजना का राज्य वार ब्यौरा 25.04.94 की स्थिति।

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समन्वित आदिवासी विकास परियोजना	
1.	आन्ध्र प्रदेश	51
2.	अरूणाचल प्रदेश	48
3.	असम	69
4.	बिहार	112
5.	गुजरात	50
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	कर्नाटक	23
8.	केरल	21
9.	मध्य प्रदेश	220
10.	महाराष्ट्र	68
11.	मणिपुर	22
12.	मेघालय	30
13.	मिजोरम	20
14.	नागालैण्ड	28
15.	उड़ीसा	118
16.	राजस्थान	23
17.	सिक्किम	04
18.	तमिलनाडु	09
19.	त्रिपुरा	18
20.	उत्तर प्रदेश	04
21.	पं बंगाल	119
22.	अं० और नि० द्वीपसमूह	02
23.	दा० और न० हवेली	01
24.	दमन और द्वीप	01
25.	लक्षद्वीप	05
	कुल	1073

Improvement in the infrastructural facilities in the industrial sector

1789. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether strong improvements in the infrastructural facilities are needed to sustain high rate of growth in the industrial sector;